



कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति “विशिष्ट श्रेणी” (अनाज) कोटा (राज0)

(e-Mail : kums.kotagr@rajasthan.gov.in, Phone No. : 0744-2490674, 2490475)

क्रमांक : आवंटन / 2023-2024 / 48

दिनांक : 13-04-2023

श्रीमान उप वन संरक्षक
कार्यालय उपवन संरक्षक (टेरोटोरियल)
सिविल लाईन, कोटा

विषय :- Land for Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti
(FR/RJ/OTHER/20036/2016)

प्रसंग :- आक्षेप दिनांक 12.04.2023 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा लगाये गये आक्षेप दिनांक 12.04.2023 की पूर्ति कर पत्र के साथ संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में केवल ग्राम अनन्तपुरा की 96 हैक्ट0 वन भूमि प्रस्तावित है। राजस्व विभाग, वन विभाग, रीको के संयुक्त सर्वे दिनांक 30.12.2021 के अनुसार समस्त वन भूमि अनन्तपुरा के खसरा नम्बर 284/316, 286, 384 व 301 से ली गई है। जबकि खसरा नम्बर 286 का प्रस्ताव में कही भी उल्लेख नहीं है। स्थिति स्पष्ट करें।	बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में केवल ग्राम अनन्तपुरा की 96 हैक्ट0 वन भूमि प्रस्तावित है। राजस्व विभाग, वन विभाग, रीको के संयुक्त सर्वे दिनांक 30.12.2021 के अनुसार समस्त वन भूमि अनन्तपुरा के खसरा नम्बर 284/316, 384 व 301 से ली गई है। जबकि खसरा नम्बर 286 का उल्लेख टंकण ऋटिवश हो गया है।
2. प्रस्ताव में ग्राम आनन्दपुरा की जमाबन्दी संलग्न की गई है। जबकि संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों में ग्राम अनन्तपुरा है। स्थिति स्पष्ट करें।	समस्त दस्तावेजों में दर्ज ग्राम अनन्तपुरा को ग्राम आनन्दपुरा पढ़ा जावे। इसके लिए शपथ पत्र संलग्न कर दिया गया है।

(जवाहर लाल नागर)

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा